



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

03 PAUSH, 1943 (S)

No. 655

RANCHI, FRIDAY, 24th DECEMBER, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

24th December, 2021

Notification No. 18/2021 – State Tax

S.O. No. 61, Dated 24th December, 2021--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, S.O. No. 49 – State Tax, dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

- (i) for the words, letters and figure “required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax”, the words “liable to pay tax but fail to do so” shall be substituted;
- (ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words “Tax period”, the words “Month/Quarter” shall be substituted;
- (iii) in the Table, for serial number 4, 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of June, 2021.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,

Secretary,

Commercial taxes Department

Note: The principal notification S.O. No. 49 – State Tax, dated the 29th June, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, and was last amended *vide* notification number 08/2021 – State Tax, dated the 23rd June, 2021, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 36, dated the 23rd June, 2021.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 18/2021- राज्य कर

एस.ओ.सं.61, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021--सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, झारखंड सरकार के वाणिज्य कर विभाग की एस. ओ. सं. 49- राज्य कर, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, -

(i) शब्दों, अक्षरों और अंकों “जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3 ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं”, के स्थान पर, शब्दों “जो कर का भुगतान कर ने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं ” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, “कर अवधि” शब्दों, के स्थान पर, “माह / तिमाही” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
“4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021

		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है “।

2. यह अधिसूचना 01 जून, 2021 से लागू मानी जाएगी ।

[स.स.वा कर/जी.एस.टी./01/2020]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: मूल एस. ओ. सं. 49- राज्य कर, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 8/2021 - राज्य कर, दिनांक 23 जून, 2021, जिसे एस. ओ. सं. 36, दिनांक 23 जून, 2021 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।
